(५०)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1140/तीन/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–5–1998 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण 18/1995–96 निगरानी

रणवीर सिंह पुत्र श्यामलाल
निवासी ग्राम मोतीपुरा
तहसील व जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– नरेश सिंह पुत्र नाथूसिंह यादव
ग्राम उमरी सिपाही नं.21554265
डव्लू 656 इंजीनियर विजिग
यूनिट 56 ए.पी.ओ. ---असल अनावेदक

2– नाथू पुत्र मानपाल यादव
निवासी थाना उमरी तहसील भिण्ड

3– श्रीमती शॉतिदेवी पत्नि जगदीशसिंह
ग्राम गोहद तहसील गोहद जिला भिंड

4– श्रीमती दयवन्ती पत्नि हरीशंकर

5– श्रीमती अलका देवी पत्नि बलीप यादव
दोनो ग्रामविलाब तहसील व जिला भिंड

6– अभिलाख सिंह पुत्र श्यामलाल यादव
ग्राम भौंतीपुरा तहसील व जिला भिंड -- तरतीवीं अना0

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक 1 से 3 एकपक्षीय)
(शेष अनावेदक तरतीवीं पक्षकार – सूचना आवश्यक नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक 7 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 18/1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–5–1998 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम उमरी तहसील भिण्ड स्थित खाता क्रमांक 136 पर धारित कुल किता 10 कुल रकबा 2.937 हैक्टर के सामिलाती खातेदार रणवीर सिंह, अभिलाख सिंह, मोहरसिंह, नरेशसिंह हैं। आवेदक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 22/89-90 - 178 दर्ज कर आदेश दिनांक 17.12.1992 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 65/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-9-95 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर भिंड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 83/94-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.10.1995 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.9.95 निरस्त कर नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-12-92 को स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 18/95-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-5-1998 से अपर कलेक्टर, भिण्ड के आदेश दिनांक 10.10.1995 को निरस्त किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 24-9-1995 स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर भिण्ड ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 24-9-1995 को निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-12-92 को स्थिर रखा है, जबकि नायव तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही के अवलोकन से बटवारा कार्यवाही दूषित प्रकिया पर आधारित होकर संहिता की धारा 178 के अनुरूप होना नहीं पाई गई है क्योंकि हलका पटवारी ने जिन फर्दो को नायव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है फर्द पर किसी भी पक्षकार के सहमति/असहमति वावत् हस्ताक्षर नहीं हैं और इसी दूषित फर्द को सही मानकर नायव तहसीलदार ने बटवारा आदेश दिनांक 17-12-92 पारित किया है। बटवारे हेतु प्रस्तुत फर्द पर नरेश सिंह ने आपत्ति प्रस्तुत की थी, परन्तु नायव तहसीलदार ने इस आपत्ति का निराकरण भी नहीं किया, अर्थात संहिता की धारा 178 के अंतर्गत दर्शित बटवारा नियमों का पालन किये बिना नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 17-12-92 पारित किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने भलीभॉति परीक्षण कर सभी सहखातदारों से दावा-आपत्ति आमंत्रित करने हेतु एंव अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु वापिस किया था, जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता, परन्तु अपर कलेक्टर भिंड ने प्रकरण क्रमांक 83/94-95 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.10.1995 से अनुविभागीय अधिकारी के विधिवत् आदेश को निरस्त कर पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाई है क्योंकि अब तक तहसील न्यायालय में पक्षकारों के बीच सुनवाई उपरांत बटवारा कार्यवाही हो गई होती । इन्हीं कारणों से

विद्वान अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 18/1995-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-5-1998 से अपर कलेक्टर भिण्ड के त्रृटिपूर्ण आदेश दिनांक 10.10.95 को निरस्त किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 18/1995-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-5-1998 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है एंव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर